भारत निर्वाचन आयोग

अशोक रोड, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली-110001

सं.: ई सी आई/प्रे नो/47/2018 दिनांक: 03 जुलाई, 2018

<u>प्रेस नोट</u>

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 03 और 04 जुलाई, 2018 को सुगम निर्वाचनों के संबंध में दो दिवसीय राष्ट्रीय मंत्रणा का आयोजन।

सुगम निर्वाचनों के संबंध में राष्ट्रीय मंत्रणा के पहले दिन ज्ञान का आदान-प्रदान और सामूहिक विचार-विमर्श।

भारत निर्वाचन आयोग की नई दिल्ली में 03 और 04 जुलाई, 2018 को निर्धारित सुगम निर्वाचनों के संबंध में दो दिवसीय राष्ट्रीय मंत्रणा राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और भारत सरकार के सदस्यों के अलावा 50 से अधिक सिविल सोसाइटी संगठनों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की सहभागिता के साथ उत्साहजनक रूप से आरंभ हुई।

माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत, सुगम निर्वाचनों के संबंध में राष्ट्रीय मंत्रणा में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

निर्वाचनों को दिव्यांगजनों हेतु पूर्णत: समावेशी, सुगम और बाधा रहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने अपने उद्घाटन सत्र में कहा - ''अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियमों और समझौतों या प्रक्रियाओं के मौजूद होते हुए भी दिव्यांगजनों के प्रति उदासीनता के कारण अभी भी उन तक नहीं पहुंचा जा रहा है। मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करता हैं कि वे हमें प्रभावकारी उपाय सुझाएं और एक ऐसी नीति तैयार करने में हमारी मदद करें जो विश्व के सभी निर्वाचन प्रबंधन निकायों के लिए आदर्श रूपरेखा का काम करे''।

जयपुर फुट बनाने वाले एक तकनीशिन मास्टर राम चन्द्रा, दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और उन्हीं की तरह ऐसे बहुत से प्रसिद्ध और अज्ञात नायक हैं जो दिव्यांगता के विरूद्ध लड़ाई का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा ने पूरी निर्वाचकीय प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए लोगों में स्वेच्छा से काम करने की भावना और जागरूकता संबंधी पहल पर जोर देते हुए सभी हितधारकों और पूरे समाज के साथ सहयोग के महत्व पर बल दिया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि - ''हम जितना अधिक संवेदनशील होंगे - उतना ही अधिक जागरूक होंगे।'

मंत्रणा का पहला दिन भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता) प्रभाग की नई सक्रिय वेबसाइट के शुभारंभ का साक्षी बना जिसमें एक भाग दिव्यांग जनों को समर्पित होने के साथ-साथ अत्याधुनिक सुरक्षा और अभिगम्यता जैसी विशिष्टियों से युक्त है।

पहले तकनीकी सत्र का आरंभ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रस्तुतीकरण से हुआ और तत्पश्चात कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और मांडया, कर्नाटक के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सुगम निर्वाचनों के संबंध में सर्वोत्तम परिपाटियों का प्रस्तुतिकरण हुआ।

राज्य की रिपोर्टों का आंकलन करते हुए तथा अपने प्रस्तुतीकरण के विषयगत पहलुओं पर विचार-विमर्श करते हुए प्रतिभागी

भोजनावकाश उपरांत तकनीकी सत्र में पांच मुख्य दिव्यांगताओं और तीन मुख्य विषयों, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित सुगम पंजीकरण प्रक्रिया; ई वी एम/वी वी पी ए टी और अन्य सुविधाजनक उपायों सहित सुगम मतदान केन्द्र; मतदाता शिक्षा आउटरीच और साझीदारों से लाभ उठाने के संबंध में विचार विमर्श करने के पश्चात कार्यकारी समूहों का विभाजन शामिल था।

सुगम निर्वाचनों के संबंध में राष्ट्रीय मंत्रणा

भारत निर्वाचन आयोग के वर्ष 2018 हेतु थीम-*सुगम निर्वाचन* के भाग के रूप में आयोजित जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कार्यशालाओं की तीन माह से अधिक लंबी श्रृंखलाओं का परिणाम है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांग जनों को शामिल करने में सम्मुख आने वाली बाधाओं की पहचान की जा सके, मौजूदा अभिगम्यता नीतियों का वर्तमान में आकलन किया जा सके और दिव्यांग जनों की सहभागिता को बढ़ाने में आने वाली रूकावटों को दूर करने के लिए सिफारिशों का सुझाव दिया जा सके।

माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त मतदाता जागरूकता पहल पर प्रदर्शनी में शिरकत करते हुए

इस सार्थक और लाभकारी दो दिवसीय मंत्रणा से ''सुगम निर्वाचन'' का व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त होगा जो आगामी राज्यीय और राष्ट्रीय निर्वाचनों में निर्वाचन प्रक्रिया को और सुगम बनाने में सहायक होगा। यह निर्वाचन आयोग के उद्देश्य ''कोई भी मतदाता न छूटे'' की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

हस्ता./-

(पवन दीवान)
अवर सचिव